

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण की 383वीं बैठक का कार्यवृत्त
स्थान - राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण सम्मेलन कक्ष
तिथि और समय -14 मार्च, 2023 पूर्वाह्न 11:00 बजे

बैठक में निम्नलिखित ने भाग लिया:

- प्रो. किशोर के. बासा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
- श्री हेमराज आर कामदार, अंशकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से।
- प्रो. एम. कैलाश राव, अंशकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से।
- श्री भास्कर वर्मा, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

कार्यसूची संख्या 01:

382वीं एनओसी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्यसूची संख्या 02:

98 एनओसी आवेदनों पर विचार:

नए मामले :

ऑनलाइन : 23

ऑफलाइन : 70

ऑफलाइन मामलों पर पुनर्विचार: 05

मामला संख्या 01

(श्री जी. पचैयप्पा और श्रीमती एस सांडिया, 34/3, अप्पाराव स्ट्रीट, कांचीपुरम)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 1324, कांचीपुरम, तमिलनाडु में 8.53 मीटर की कुल ऊँचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जी + 1 मंजिल के साथ तल क्षेत्रफल जीएफ = एफएफ = 75.90 वर्गमीटर, खुला क्षेत्र = 5.29 वर्गमीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण पृष्ठ 1

द्वारा टाइप किया गया: बंटी द्वारा संकलित: शीतल द्वारा जांचा गया: एन. महापात्रा

१०२८१

में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 02

(श्रीमती एम. जयलक्ष्मी, डी.नं. 85/108, कामत चियाम्मन सन्नथी स्ट्रीट, कांचीपुरम)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊँचाई 7.5 मीटर (कुल मिलाकर) तक सीमित रखने के लिए कहते हुए मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या 03

(श्रीमती बी. मुल्लई कुमारी, लिंगप्पन स्ट्रीट कांचीपुरम, बिंग कांचीपुरम)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 2233/1ए2, कांचीपुरम, तमिलनाडु में 8.80 मीटर की कुल ऊँचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जी + 2 मंजिलों के साथ GF=FF= 42.87 वर्गमीटर, SF=7.43 वर्गमीटर, खुला क्षेत्र = 55.10 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 04

(श्री एस. मुथुकुमारन और श्री एस. बालाजी, नंबर 57 बी/140, जवाहरलाल स्ट्रीट, बिंग कांचीपुरम, कांचीपुरम टाउन-631502)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 1595/1, 1596/2, कांचीपुरम, तमिलनाडु में 8.76 मीटर की कुल ऊँचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जी + 1 मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = 72.93 वर्गमीटर, खुला क्षेत्र = 44.97 वर्गमीटर, चारदीवारी = 59.60 आरएमटी के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 05

(श्री एस. कुमार, श्री एस. करुणाकरन और श्री. एस. रमेश, नंबर 392ए ओद्वाकूथर स्ट्रीट, मामल्लन नगर, कांचीपुरम - 631502)

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण पृष्ठ 2

द्वारा टाइप किया गया: बंटी द्वारा संकलित: शीतल द्वारा जांचा गया: एन. महापात्रा

२०२२ वं

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में TS No.787/1, 791/7, कांचीपुरम, तमिलनाडु में 07.50 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैक आदि सहित) के साथ जी + 1 मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = 409.18 वर्गमीटर, खुला क्षेत्र = 361.82 वर्गमीटर, चारदीवारी = 127.93 आरएमटी तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 06

(श्री वी. वरदराजू, डी.एनओ:39/50 पांडवपेरुमल कोइल स्ट्रीट कांचीपुरम, तमिलनाडु)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 2370/10बी, कांचीपुरम, तमिलनाडु में 07.92 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैक आदि सहित) की कुल ऊंचाई के साथ जी + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 78.14 वर्गमीटर, एफएफ = 33.06 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 07

(श्री एस.पुरुषोत्तमन पुत्र श्री एम.सेकर, द्वार संख्या 3, भारथियार स्ट्रीट, सदाशिवम नगर, ओरिक्काई पोस्ट, सेविलिमेडु, कांचीपुरम-631502)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में D No.20A, TS.No.1197/1A,2, दमलवार स्ट्रीट, कांचीपुरम कॉर्पोरेशन, वार्ड-4, ब्लॉक-16, कांचीपुरम, तमिलनाडु में 07.50 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैक आदि सहित) के साथ साथ जी + 1 मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = 42.69 वर्गमीटर, चारदीवारी = 16.94 आरएमटी तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 08

(श्री के. गोपालकृष्णन, 117, एसआईएस डेन्यूब अपार्टमेंट, जयचंद्र नगर 1st मेन रोड, जलादियांपेट, मेदवक्कम, चेन्नई- 600100)

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण पृष्ठ 3

द्वारा टाइप किया गया: बंटी द्वारा संकलित: शीतल द्वारा जांचा गया: एन. महापात्रा

३१२ क २ वना

आवेदन पर विचार करने के बाद अधिकतम ऊंचाई 20.39 मीटर (कुल मिलाकर) तक सीमित रखने के लिए कहते हुए मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या 09

(श्री स्वामीनाथन और श्रीमती उमा मागेश्वरी, 14/20, नटेसनार स्ट्रीट, तिरुवरकाङ्कु, चेन्नई - 77)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट नंबर: 7 S.No: 416/26, पेरुंबक्कम, तांबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 9.45 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ हेड रूम और ओवरहेड टैंक के साथ जी + 1 मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = 68.46 वर्गमीटर, हेड रूम एरिया = 16.07 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 10

(श्री एस. भूपथी (जीपीए), श्री केके नन्थाकुमार (मालिक), प्लॉट नंबर 42 डोर नंबर 15/2 विजया नगर, नॉर्थ एक्सटेंशन वेलाचेरी चेन्नई - 42)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 34/48, सीतालपक्कम, तांबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 10.87 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ ओवरहेड टैंक के साथ जी + 2 मंजिलों के साथ जीएफ = 59.10 वर्गमीटर, एफएफ = 116.17 वर्गमीटर, एसएफ = 74.90 वर्गमीटर, पार्किंग क्षेत्र = 57.06 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 11

(श्री सत्यनारायणन। बी, 1/1, अन्ना स्ट्रीट, अलगप्पा नगर, वेलाचेरी, चेन्नई - 600042)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 416/14, पेरुंबक्कम, तांबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 09.29 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) की कुल ऊंचाई के साथ ओवरहेड टैंक के साथ जी + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 56.74 वर्गमीटर, एफएफ = 64.72 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.50 मीटर के साथ तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया।

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण पृष्ठ 4

द्वारा टाइप किया गया: बंटी द्वारा संकलित: शीतल द्वारा जांचा गया: एन. महापात्रा

—८६२५२८८—

एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 12

(श्री वेंकटेश्वरन रंगराज, नंबर: 9 /386, कामराजनगर, कट्टुपट्टी गांव, मनापरैतालुक, त्रिची-621306)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊँचाई 12.94 मीटर (कुल मिलाकर) तक सीमित रखने के लिए कहते हुए मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या 13

(श्री एस. सेल्वा गणेश, नंबर 3/19, बंगला मेहू स्ट्रीट, करनोदाई, चोलावरम, चेन्नई-600067)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट नंबर 116 / न्यू सर्वे नंबर, पेरुबक्कम, तांबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में स्टिल्ट + 2 मंजिलों के साथ हेड रूम और ओवरहेड टैंक के साथ 10.71 मीटर की कुल ऊँचाई (ममठी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ एफएसआई क्षेत्र: एफएफ = एसएफ = 92.90 वर्गमीटर, गैर-एफएसआई क्षेत्र: एफएफ = 92.90 वर्गमीटर प्रस्तावित हेड रूम क्षेत्र = 10.50 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 14

(श्रीमती एम. कल्पना पत्नी एन. वेत्रिवेल, ई 4/1, पहली मेन रोड, ओटेरी एक्सटेंशन, वंदलूर, चेन्नई-600048)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 136/41, मामल्लपुरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में कुल 9.37 मीटर (ममठी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) ऊँचाई के साथ ओवरहेड टैंक के साथ जी + 1 मंजिल के साथ FSI क्षेत्र जीएफ = एफएफ = 84.31 वर्गमीटर, गैर FSI क्षेत्र : पोर्टिको और बालकनी क्षेत्र = 30.66 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर के साथ तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण पृष्ठ 5

द्वारा टाइप किया गया: बंटी द्वारा संकलित: शीतल द्वारा जांचा गया: एन. महापात्रा

३१२ क २ का

मामला संख्या 15

(श्री एम. नवीन और श्री एम. अरुण बारथ, 363/सी५, सेंधुर मुरुगन कोविल स्ट्रीट, ओल्ड पेट, कृष्णगिरी - 635001)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊँचाई 7.50 मीटर (कुल मिलाकर) तक सीमित रखने के लिए कहते हुए मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या 16

(तमिलनाडु हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड, 759, अन्ना सलाई, चेन्नई - 600002)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकारण ने नोट किया कि चूंकि यह एक सार्वजनिक परियोजना है और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में पहले ही प्रतिमा का निर्माण किया जा चुका है, इसलिए इस सार्वजनिक कार्य के कारण स्मारक अथवा इसके एकदम पास संरक्षण, सुरक्षा, संरक्षा, पहुंच अथवा वृश्यता के किसी विशेष प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में राय के लिए आवेदक को एएमएएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 20(ए)3 के संदर्भ में इस मामले को एएसआई के साथ उठाने की सलाह दी गई।

मामला संख्या 17

(श्रीमती टाटा वर्ती झांसी रानी पत्नी प्रताप कुमार, द्वार नंबर 15-3-35/1, परदासराधि नायडू स्ट्रीट, बापटला मंडल, बापटला जिला, आंध्र प्रदेश, पिन: 522101)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊँचाई 10.00 मीटर (कुल मिलाकर) तक सीमित करने और भूमि उपयोग तथा कोई कानूनी विवाद न होने के संबंध में कानूनी शपथ-पत्र /स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या 18

(मोहम्मद अनवर पुत्र घोस, द्वार संख्या 10-2-183, जीबीसी रोड, वार्ड संख्या 17 बापटला, आंध्र प्रदेश पिन - 522101)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को भूमि उपयोग और कोई कानूनी विवाद नहीं होने के संबंध में कानूनी शपथ-पत्र /स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया गया।

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण पृष्ठ 6

द्वारा टाइप किया गया: बंटी द्वारा संकलित: शीतल द्वारा जांचा गया: एन. महापात्रा

२०२४

मामला संख्या 19

(मोहम्मद अनवर पुत्र घौस, द्वारा संख्या: 10-3-138 वार्ड संख्या : 19 पीरला पंजा स्ट्रीट बापटला पिन: 522101)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को भूमि उपयोग और कोई कानूनी विवाद नहीं होने के संबंध में कानूनी शपथ-पत्र/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या 20

(जिला पर्यटन अधिकारी , नया समाहरणालय, डी-ब्लॉक, कला महाविद्यालय के पास, वाईएसआर कडप्पा जिला, पिन -516001)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को भूमि उपयोग और कोई कानूनी विवाद नहीं होने के संबंध में कानूनी शपथ-पत्र/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या 21

(मदकसिरा नगर आयुक्त, नगर कार्यालय, मदकसिरा, अनंतपुरम, आंध्र प्रदेश, पिन: 515301)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को भूमि उपयोग और कोई कानूनी विवाद नहीं होने के संबंध में कानूनी शपथ-पत्र/स्व-घोषणा तथा वास्तुविद द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित उचित स्थल योजना प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया गया। प्रस्तावित पानी की टंकी का डिजाइन आसपास की वास्तुकला के अनुरूप होना चाहिए।

मामला संख्या 22

(महेशिया आर. हिरेमाथाड, एमआर हिरेमाथाड, एडवोकेट, बासापुरा गांव, हावेरी तालुक हावेरी जिला, कर्नाटक- राज्य पिन: 581108, कर्नाटक)

प्रस्तावित भवन के लिए 14.65 मीटर की बढ़ी हुई ऊंचाई के लिए अनुमति मांगने वाले वर्तमान आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले को अस्वीकृत करने और तहखाने + GF + 1 मंजिल के लिए 10.34 मीटर की ऊंचाई के लिए 16.07.2021 को आयोजित अपनी 310वीं एनओसी बैठक में प्राधिकरण द्वारा दी गई पिछली स्वीकृति को दोहराने का निर्णय लिया गया।

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण पृष्ठ 7

द्वारा टाइप किया गया: बंटी द्वारा संकलित: शीतल द्वारा जांचा गया: एन. महापात्रा

८१, २५२ वला

मामला संख्या 23

(अंशुमाला जैन (पार्टनर), 5ए, चौरंगी लेन, कोलकाता - 700016, पश्चिम बंगाल)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में यह पाया गया कि आवेदक ने मरम्मत/नवीकरण के लिए प्रपत्र-I और सहायक दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। हालांकि सक्षम प्राधिकारी ने प्रपत्र-II में कार्य की प्रकृति निर्माण के रूप में बताई है। इसलिए, प्राधिकरण ने सक्षम प्राधिकारी से यह स्पष्टीकरण मांगने के लिए कि क्या मामला मरम्मत और नवीनीकरण के लिए है या निर्माण के लिए है, वापस भेजने का निर्णय लिया। प्राधिकरण ने यह भी राय दी कि यदि आवश्यक हो तो बाद में स्थल का दौरा किया जा सकता है।

नए मामले:

मामला संख्या 01

(श्रीमती सुभद्रा अनिल धावले, शिरोले हाउस, 1099/बी, मॉडल कॉलोनी, शिवाजीनगर, जिला-पुणे-411016)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई 18.00 मीटर (कुल मिलाकर) तक सीमित रखने के लिए कहते हुए मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या 02

(श्री अनंत राजेंद्र शिरोले (पीओए), शिरोले हाउस, 1099/बी, मॉडल कॉलोनी, शिवाजीनगर, जिला-पुणे-411016)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई 20.00 मीटर (कुल मिलाकर) तक सीमित रखने और भूमि उपयोग तथा कोई कानूनी विवाद नहीं होने के संबंध में कानूनी शपथ-पत्र/स्व-घोषणा और आवेदक के नाम पर वास्तविक पावर ऑफ अटॉर्नी प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या 03

(श्री श्रीनिवास हरि कोरलकर, पोस्ट/घोदेशवा, ताल-मोहोल, जिला-सोलापुर- 413253)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को जी + 1 मंजिल (कुल मिलाकर) के लिए अधिकतम ऊंचाई 7.50 मीटर तक सीमित रखने के लिए कहते हुए मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या 04

(श्री विशाल सुरेंद्र अग्रवाल, ब्रह्मा हाउस, 250/251 एमजी रोड कैंप, पुणे - 01)

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण पृष्ठ 8

द्वारा टाइप किया गया: बंटी द्वारा संकलित: शीतल द्वारा जांचा गया: एन. महापात्रा

११२ क२ फॅ३

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई 20.00 मीटर (कुल मिलाकर) तक सीमित रखने और भूमि उपयोग तथा कोई कानूनी विवाद नहीं होने के संबंध में कानूनी शपथ-पत्र/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या 05

(श्रीमती वैशाली विजय तंगारे, मारुति मंदिर के पास, खानापुर, जिला- सांगली - 415307)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सीटीएस संख्या 1180, खानापुर, जिला - सांगली में 6.90 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जी + 1 मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = 16.39 वर्गमीटर, कुल = 32.78 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 06

(श्री संजय वी. गुंदेचा, 393/बी, नारायण पेठ, जिला-पुणे-411030)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई 20.00 मीटर (कुल मिलाकर) तक सीमित रखने के लिए कहते हुए मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या 07

(श्री चाबुराव सोन्याबपू जाधव और शकुंतला सी. जाधव, सीटीएस नंबर 4601, भोपलेगल्ली, मालीवाड़ा, ताल अहमदनगर, जिला-अहमदनगर-414001)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सीटीएस संख्या 4601, भोपाल गली, मालीवाड़ा, तहसील अहमदनगर, जिला - अहमदनगर - 414001 में 11.66 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ पार्किंग/ग्राउंड + 2 मंजिलों के साथ पार्किंग = जीएफ = 51.80 वर्गमीटर, एफएफ = एसएफ = 58.14 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 08

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण पृष्ठ 9

द्वारा टाइप किया गया: बंटी द्वारा संकलित: शीतल द्वारा जांचा गया: एन. महापात्रा

७, २०२२ वन

(श्री हीरालाल गणेश परदेशी, गजानन चौक, फलटन, ताल-फलटन, जिला-सतारा - 415523)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई 07.50 मीटर (कुल मिलाकर) तक सीमित रखने के लिए कहते हुए मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या 09

(श्री रितेश राजेंद्र वेताल और अन्य एक, मोती हाइट, दूसरी मंजिल, सीटीएस नंबर 722, बुधवार पेठ, जीजामाता बाग के पास, पुणे - 411002)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई 21.00 मीटर (कुल मिलाकर) तक सीमित रखने और भूमि उपयोग तथा कोई कानूनी विवाद नहीं होने के संबंध में कानूनी शपथ-पत्र/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या 10

(श्रीमती मंगल दीपक बिरारिस, 16, दुर्गा हाउसिंग सोसाइटी जाधव संकुल अशोक नगर, जिला- सतपुर- 422012)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई 18.60 मीटर (कुल मिलाकर) तक सीमित रखने के लिए कहते हुए मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या 11

(श्रीमती थस्नी एस., मदविलाकम विदु पुल्लोर्कोनम, विड्जिंगम पीओ तिरुवनंतपुरम-21, केरल)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में आरई एसवाई नं. 84/5-1 वार्ड नं. 62, विड्जिंगम में कुल 04.35 मीटर ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ ग्राउंड फ्लोर के साथ जीएफ = 96.13 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण पृष्ठ 10

द्वारा टाइप किया गया: बंटी द्वारा संकलित: शीतल द्वारा जांचा गया: एन. महापात्रा

—२०२२ का

मामला संख्या 12

(श्री सैफुद्दीन ए., चेम्मानुविला, थोड़ीचल, हार्बररोड, विजिंजम। पीओ तिरुवनंतपुरम-21, केरल)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में आर.एस.वाई. नं. 200/16-1, 200/16-2, 200/16, वार्ड नं. 62, नेय्यात्तिनकारा विजिंजम में कुल 05.06 मीटर ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ भूतल के साथ जीएफ = 178.17 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 13

(श्रीमती आशा एस.के., पुथेनविला वीडू, वावरमबलम, पोथेनकोड, पीओ तिरुवनंतपुरम-695584, केरल)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई 07.50 मीटर (कुल मिलाकर) तक सीमित रखने के लिए कहते हुए मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या 14

(श्रीमती जमीला बीवी, समीना हाउस, पुथेनविलाकोम, विजिंजम पीओ तिरुवनंतपुरम-21, केरल)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में आर.एसवाई संख्या 85/9-1 वार्ड 62, विजिंजम में 07.35 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ भूतल + सीढ़ी कक्ष के साथ जीएफ = 48.60 वर्गमीटर, सीढ़ी कक्ष = 9.40 वर्गमीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 15

(श्रीमती सबीना बीवी और शक्कीर हुसैन, बिस्मिल्ला हाउस, पिराविलकोम, विजिंजम, पीओ तिरुवनंतपुरम - 21, केरल)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में आर.एसवाई संख्या 85/9-2 वार्ड 62, विजिंजम में 07.35 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ भूतल + सीढ़ी कक्ष के साथ जीएफ = 48.25 वर्गमीटर, सीढ़ी कक्ष = 9.97 वर्गमीटर के भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण पृष्ठ 11

द्वारा टाइप किया गया: बंटी द्वारा संकलित: शीतल द्वारा जांचा गया: एन. महापात्रा

२१.१२.२०२२

और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 16

(श्री शमीर ई., टाउनशिप कॉलोनी, एच. नं. 445, अलुनीनाविला विडिंजम, पीओ तिरुवनंतपुरम-21, केरल)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में आर.एसवाई. नंबर 86/3-1 वार्ड 62, विडिंजम में 05.75 मीटर की कुल ऊँचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ भूतल + सीढ़ी वाले कमरे के साथ जीएफ = 47.79 वर्गमीटर, सीढ़ी कक्ष = 08.99 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 17

(श्री सादिक एम. और नसीरा, एआई अमीन मंजिल, अम्बालाकुलम, विडिंजम, पीओ तिरुवनंतपुरम-21, केरल)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में यह निर्णय लिया गया कि एसवाई. नंबर 115/26 वार्ड 62, विडिंजम नेच्यात्तिंकरा में 08.40 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) की कुल ऊँचाई के साथ भूतल + 1 + सीढ़ी वाले कमरे के साथ जीएफ = 144.02 वर्गमीटर, एफएफ = 122.82 वर्गमीटर, सीढ़ी कक्ष = 10.74 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 18

(श्री अब्बकर. टी.के. और जसना एम.जे., थिरुथिकक्कू, पुलक्कल हाउस, वेल्लारक्कड़, वेल्लारक्कड़, पीओ विशूर-680584, केरल)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में एसवाई. नंबर 626/2, वेल्लारक्कड़ गांव कुन्नमकुलम, कदंगोडे ग्राम पंचायत, विशूर में 05.55 मीटर की कुल ऊँचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ भूतल के साथ जीएफ = 120.15 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण पृष्ठ 12

द्वारा टाइप किया गया: बंटी द्वारा संकलित: शीतल द्वारा जांचा गया: एन. महापात्रा

— २१.१२.२२ —

मामला संख्या 19

(श्री साजिथ, एमएम, मम्मराइलथ हाउस, चेरप्पु, पीओ त्रिशूर-680561, केरल)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में एसवाई. नंबर 299/4 नितिका गांव, नहिंका पंचायत, चावककड़ तालुक, त्रिशूर में कुल ऊंचाई 07.40 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ भूतल +1 मंजिल के साथ जीएफ = 139.16 वर्गमीटर, एफएफ = 155.40 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 20

(श्री सजीवन, एम.पी., मुल्लेझथ हाउस, मेथा कोडुंगल्लूर, पीओ त्रिशूर-680664, केरल)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में एसवाई. नंबर 4/3, 3/2, 4/3, मेथला कोडुंगल्लूर, त्रिशूर में कुल ऊंचाई 07.25 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ भूतल + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 96.08 वर्गमीटर, एफएफ = 71.36 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 21

(श्रीमती लैला और अन्य, चेम्ब्रयूर हाउस, वेल्लारक्कड़, वेल्लारक्कड़, पीओ त्रिशूर - 680584 केरल)

आवेदन पर विचार करने के बाद फॉर्म II और स्थल योजना में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्या बेमेल होने के कारण मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या 22

(श्रीमती लैला और अन्य, चेम्ब्रयूर हाउस, वेल्लारक्कड़, वेल्लारक्कड़, पीओ त्रिशूर - 680584 केरल)

आवेदन पर विचार करने के बाद फॉर्म II और स्थल योजना में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्या बेमेल होने के कारण मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या 23

(मुश्ति स्टैनलिन कुंजंग, चॉटनेस हाउस, ती-सुरु रो, शास्तांग खाशाल शंकर लेह - यूटी लद्धाख)

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण पृष्ठ 13

द्वारा टाइप किया गया: बंटी द्वारा संकलित: शीतल द्वारा जांचा गया: एन. महापात्रा

742 क 2 कला

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में शास्तांग लेह में 8.53 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैक आदि सहित) की कुल ऊँचाई के साथ 02 मंजिलों के साथ तल क्षेत्रफल = 1102.2946 वर्गमीटर संस्थागत/पब्लिक स्कूल के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, लेह - लद्घाख की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 24

(परवेज अहमद, अलीमजान हाउस, शास्तांग, योरटिंग, लेह)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊँचाई 08.50 मीटर (सभी सहित) तक सीमित रखने और भूमि उपयोग और कोई कानूनी विवाद नहीं होने के संबंध में कानूनी शपथ-पत्र/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को वापस भजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या 25

(श्रीमती तंबो देवी, श्री रविंदर, श्री बिहू कुमार, वार्ड नंबर-2, पुलिस स्टेशन के पास, पोस्ट ऑफिस और तहसील सुजानपुर टीरा, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में खसरा संख्या 732, मोहल सुजानपुर, मौजा भलेथ, पीओ और तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में 9.25 मीटर की कुल ऊँचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैक आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = 23.71 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ नए भवन के निर्माण के लिए इस मामले में एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, हिमाचल प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 26

(श्रीमती सुषमा धीमान, वार्ड नं.-1, पोरियान मोहल्ला, डाकघर एवं तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश - 176110)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊँचाई 09.25 मीटर (सभी सहित) तक सीमित रखने के लिए कहते हुए मामले को वापस भजने का निर्णय लिया गया।

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण पृष्ठ 14

द्वारा टाइप किया गया: बंटी द्वारा संकलित: शीतल द्वारा जांचा गया: एन. महापात्रा

२१.२.२२ वना

मामला संख्या 27

(ईआईसी-सह-प्रबंध निदेशक, ओडिशा ब्रिज एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर, ओडिशा ब्रिज एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, विकास भवन, नयापाली, भुवनेश्वर पिन - 751012, जिला-खुर्दा, ओडिशा)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट नंबर 3485, खता नंबर 2280, मौजा भुवनेश्वर, सहारा, यूनिट नंबर 28, भुवनेश्वर, खुर्दा, ओडिशा में 4.45 मीटर की ऊँचाई के साथ सार्वजनिक और सामुदायिक भवन की मरम्मत/नवीनीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। मरम्मत/नवीकरण का कार्य एएसआई की देखरेख में किया जाएगा।

मामला संख्या 28

(श्री देबाशीष दास, गोपबंधु लेन, दत्ताटोटा, समाज कार्यालय के पास, जिला-पुरी, ओडिशा)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊँचाई 10.00 मीटर (सभी सहित) तक सीमित रखने के लिए कहते हुए मामले को वापस भजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या 29

(श्री आलेख कुमार पटनायक, प्लॉट नंबर 1215/1516, रेवेन्यू प्लॉट नंबर 2841, खता नंबर 2365/72, मौजा-घाटिकिया, भुवनेश्वर, जिला-पुरी, ओडिशा)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट नंबर पर 1215/1516, राजस्व प्लॉट संख्या 2841 खाता संख्या 2365/72, मौजा-घाटिकिया भुवनेश्वर, जिला-खुर्दा, ओडिशा में 15.85 मीटर की कुल ऊँचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैक आदि सहित) के साथ स्टिल्ट फ्लोर + 3 मंजिलों के साथ स्टिल्ट फ्लोर = 250.32 वर्गमीटर, एफएफ = एसएफ = टीएफ = 192.78 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, ओडिशा की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 30

(श्रीमती उदचन्मा मारुति बनकर, सिद्धदेवपुरा, हावेरी जिला-581110, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को फॉर्म II और स्थल योजना में उल्लिखित ऊँचाई बेमेल होने का हल करने के बाद संशोधित प्रस्ताव सहित भूमि उपयोग और कोई कानूनी विवाद नहीं होने के संबंध में कानूनी शपथ-पत्र/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को वापिस भेजने का निर्णय लिया गया।

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण पृष्ठ 15

द्वारा टाइप किया गया: बंटी द्वारा संकलित: शीतल द्वारा जांचा गया: एन. महापात्रा

२१२ क २ वना

मामला संख्या 31

(श्री प्रभु पुत्र शरणप्पा पाटिल, मकान नंबर 8-11-482, ज्योति कॉलोनी, के.ई. ऑफिस के पीछे, बीदर, जिला - 585101, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद फॉर्म ॥ और स्थल योजना में उल्लिखित ऊचाई बेमेल होने के कारण मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या 32

(श्री शिद्धप्पा और श्री नागप्पा, पुत्र बसव्वा मदार, पुरद स्ट्रीट, हरिजन केरी, हावेरी जिला, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद फॉर्म ॥ और स्थल योजना में उल्लिखित ऊचाई बेमेल होने के कारण मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया गया।

केस संख्या 33

(श्री यल्लप्पा तिरकप्पा मलागी, सिद्धदेवपुरा, पुरद ओनी, हावेरी जिला, 581110, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सीटीएस संख्या 3141, पुराड ओनी, हावेरी तालुक, हावेरी जिला में 8.20 मीटर की कुल ऊचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = 21.14 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 34

(श्री मरियव्वा आर अल्लप्पनवार, सिद्धदेवपुरम, पुरद ओनी, हावेरी जिला-581110, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सीटीएस संख्या 3120बी, पुराड ओनी, हावेरी तालुक, हावेरी जिला में 8.20 मीटर की कुल ऊचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक इत्यादि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ GF=FF=18.84 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण पृष्ठ 16

द्वारा टाइप किया गया: बंटी द्वारा संकलित: शीतल द्वारा जांचा गया: एन. महापात्रा

मुक्त वना

एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 35

(श्रीमती वसंत एस डोड्डामनी, श्रीमती निंगव्वा, श्रीमती कमलव्वा, श्रीमती लक्ष्मव्वा, श्रीमती कस्तूरव्वा, श्रीमती शिवबसव्वा, श्रीमती रेणुका, श्रीमती चन्जबसव्वा और श्रीपुत्तप्पा, सिद्धदेवपुर, पुरद ओनी, हावेरी जिला -581110, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में सीटीएस संख्या 3147/D2, पुराद ओनी, हावेरी तालुक, हावेरी जिला में 8.20 मीटर की कुल ऊँचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = 12.61 मीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 36

(श्री यंकन्ना आर कलाल पुत्र राजन्ना कलाल, श्री आनंद राजन्ना कलाल, श्री रमेश राजन्ना कलाल, वार्ड संख्या 25, जावली बाजार, बाबूसबनीकट्टी के पास, गडग जिला- 582101, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना जी+1 स्तर तक निर्माण कार्य लगभग पूरा होने के कारण मामले को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या 37

(श्री विठ्ठलसा एल भेरवाडे, तेंगिना पीट, कबाडी रोड, बेतागेरी, गदग जिला-582102, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना जी+1 स्तर तक निर्माण कार्य लगभग पूरा होने के कारण मामले को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या 38

(श्रीशिवाजी नीलप्पा देवीहोसुर, श्री परशुराम, श्रीनीलप्पा, श्रीमती रत्नाव्वा और श्रीमती होनव्वा, सिद्धदेवपुर, पुराद ओनी, हावेरी जिला- 581110, कर्नाटक)

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण पृष्ठ 17

द्वारा टाइप किया गया: बंटी द्वारा संकलित: शीतल द्वारा जांचा गया: एन. महापात्रा

—
—
—

आवेदन पर विचार करने के बाद, यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को भूमि उपयोग और कोई कानूनी विवाद न होने के संबंध में कानूनी शपथ पत्र/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को वापस भेज दिया जाए।

मामला संख्या 39

(श्री नागप्पा, श्री तिष्पन्ना और श्री यल्लप्पा, पुत्र दयमप्पा तलवार, सिद्धदेवपुरा, पुरद ओनी, हावेरी जिला-581110, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में सीटीएस संख्या-3117, पुराड ओनी, हावेरी में 4.23 मीटर की कुल ऊँचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ भूतल जीएफ=23.36 वर्गमीटर के तल क्षेत्रफल के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 40

(श्रीहेमंत अल्लमध्य प्रदेशभु दारापाल, सी/ओ अल्लामध्य प्रदेशभु दारापाल, प्लॉट संख्या 137, बीडीए प्लॉट, इत्तनगिहल, बाय पास रोड, एसएनएस हाई स्कूल के पीछे, खाजा अमीन दरगा, विजयपुर तालुक और जिला -586103, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि फॉर्म-II और स्थल योजना में उल्लिखित ऊँचाई में बेमेलता होने के कारण मामले को वापस भेज दिया जाए।

मामला संख्या 41

(श्री अजीज बेहना पुत्र श्री मतवार बेहना, वार्ड नं. 07 पोस्ट राहतगढ़ जिला सागर, मध्य प्रदेश)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में वार्ड संख्या 07 पोस्ट राहतगढ़ जिला सागर, मध्य प्रदेश में 3.65 मीटर की कुल ऊँचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ=105.35 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण पृष्ठ 18

द्वारा टाइप किया गया: बंटी द्वारा संकलित: शीतल द्वारा जांचा गया: एन. महापात्रा

म. २५२ क्ल

मामला संख्या 42

(श्री धर्मेन्द्र नागेश्वर पुत्र श्री चमरूलाल नागेश्वर, वार्ड नं.-07, तहसील-लांजी जिला बालाघाट (मध्य प्रदेश)-481222)

आवेदन पर विचार करने के बाद, यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को 07.5 मीटर की अधिकतम सीमा(कुल मिलाकर) तक ऊंचाई सीमित करने के लिए कहते हुए मामले को वापस भेज दिया जाए ।

मामला संख्या 43

(श्री सागर गोडुले पुत्र श्री प्रदीप गोडुले, वार्ड संख्या 06, मरार मोहल्ला मेन रोड तहसील-लांजी जिला बालाघाट (मध्य प्रदेश) - 481222)

आवेदन पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि मामले को वापस भेज दिया जाए क्योंकि स्वामित्व दस्तावेज आवेदक के नाम पर नहीं हैं।

मामला संख्या 44

(श्री दिलीप रामटेकर पुत्र श्री किशनलाल रामटेकर, वार्ड नं.-09, तहसील-लांजी जिला बालाघाट (म.प.)-481222)

आवेदन पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि मामले को वापस भेज दिया जाये क्योंकि स्वामित्व दस्तावेज आवेदक के नाम पर नहीं हैं।

मामला संख्या 45

(श्री जितेंद्र मिश्रा पुत्र स्वर्गीय श्री केदारनाथ मिश्रा, वार्ड संख्या 04, मेन रोड तहसील-लांजी जिला बालाघाट (मध्य प्रदेश) -481222)

आवेदन पर विचार करने के बाद, यह निर्णय लिया गया कि मामले को वापस भेज दिया जाये क्योंकि फॉर्म II में उल्लिखित प्रस्तावित निर्माण स्थल का पता आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए स्वामित्व दस्तावेजों से अलग है।

मामला संख्या 46

(श्री महेश पुत्र स्वर्गीय श्री आळजी चोरवाडे, वार्ड नं. 05, मेन रोड तहसील-लांजी जिला बालाघाट (मध्य प्रदेश) - 481222)

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण पृष्ठ 19

द्वारा टाइप किया गया: बंटी द्वारा संकलित: शीतल द्वारा जांचा गया: एन. महापात्रा

—१०२ कर्मना

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में खसरा संख्या 141/1/1/पटवारी हलका संख्या 19/60 ग्राम-लांजी, हलका और तहसील-लांजी, जिला-बालाघाट में 8.30 मीटर की कुल ऊँचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = 44.40 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 47

(श्रीमती जयतून बेगम पत्नी श्री अमीर मोहम्मद, वार्ड संख्या 04, तहसील-लांजी जिला बालाघाट (मध्य प्रदेश) - 481222)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में खसरा संख्या 42/2/8, पटवारी हलका संख्या 19/60 ग्राम-लांजी, हलका और तहसील-लांजी, जिला-बालाघाट में 7.40 मीटर की कुल ऊँचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = 202.80 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 48

(मोहम्मद अलीम शेख पुत्र यूसुफ शेख, वार्ड संख्या 11, मेन रोड तहसील-लांजी जिला बालाघाट (मध्य प्रदेश) - 481222)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में खसरा संख्या 187/275, पटवारी हलका संख्या 19/60 ग्राम-लांजी, हलका और तहसील-लांजी, जिला, बालाघाट में 8.30 मीटर की कुल ऊँचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = 65.10 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 49

(श्री हितेश खोबरागड़े पुत्र श्री सुरेश खोबरागड़े वार्ड संख्या 09, तहसील-लांजी जिला बालाघाट (मध्य प्रदेश) - 481222)

आवेदन पर विचार करने के बाद, यह निर्णय लिया गया कि मामले को वापस भेज दिया जाये क्योंकि स्वामित्व दस्तावेज आवेदक के नाम पर नहीं हैं।

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण पृष्ठ 20

द्वारा टाइप किया गया: बंटी द्वारा संकलित: शीतल द्वारा जांचा गया: एन. महापात्रा

C
मुक्त करना

मामला संख्या 50

(श्रीमती थमबाई पत्नी श्री तारा चंद किरणपुरे, वार्ड संख्या 07 मारार मोहल्ला मेन रोड, तहसील-लांजी जिला बालाघाट (मध्य प्रदेश) - 481222)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में खसरा संख्या 187/177/187/177/खा पटवारी हलका संख्या 19/60 गांव - लांजी, हल्का और तहसील-लांजी, जिला- बालाघाट में 4.85 मीटर की कुल ऊँचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के जीएफ = 47.90 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ के साथ भवन निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 51

(श्रीमती निशा शेख पत्नी स्वर्गीय श्री जहीर शेख, वार्ड संख्या 09, मनेरीफाटक तहसील-लांजी जिला बालाघाट (मध्य प्रदेश) - 481222)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया गया क्योंकि फॉर्म II और कार्य-स्थल में उल्लिखित ऊँचाई में बेमेलता है, और स्वामित्व दस्तावेज संलग्न नहीं थे।

मामला संख्या 52

(श्री दीपक माहेश्वरी पुत्र श्री रामकिशन माहेश्वरी, वार्ड नं. 15 चोखड़ा विहार सनावद जिला खरगोन मध्य प्रदेश)

आवेदन पर विचार करने के बाद, यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को 11.20 मीटर (कुल मिलाकर) तक की अधिकतम सीमा के लिए कहते हुए मामले को वापस भेज दिया जाए। भूमि उपयोग और कोई कानूनी विवाद न होने के संबंध में कानूनी हलफनामा /स्व-घोषणा प्रस्तुत करें और आवेदक के नाम पर स्वामित्व दस्तावेज प्रदान करें।

मामला संख्या 53

(श्री गोविंद कोरी पुत्र श्री पूरनलाल कोरी, वार्ड नं. 07 पोस्ट राहतगढ़ जिला सागर, मध्य प्रदेश)

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण पृष्ठ 21

द्वारा टाइप किया गया: बंटी द्वारा संकलित: शीतल द्वारा जांचा गया: एन. महापात्रा

— १, २ के २ वर्ष

आवेदन पर विचार करने के बाद, यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को आवेदक के नाम पर स्वामित्व दस्तावेज और एक पंजीकृत वास्तुकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित भवन योजना प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामला वापस भेज दिया जाए ।

मामला संख्या 54

(सिंधु बाई नंदा पत्नी श्री धुव नंदा, इन्द्र जी, वार्ड संख्या-02, किला क्षेत्र मंडला (मध्य प्रदेश) -481661)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में नजुल शीट संख्या 21सी प्लॉट 3/1, इंद्राजी वार्ड, मंडला (मध्य प्रदेश) में 4.65 वर्गमीटर की कुल ऊँचाई (ममटी, पैरापेट, पानी भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ = 27.50 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 55

(श्री मोहम्मद इलियश पुत्र यूसुफ शेख , वार्ड नं.-11, मेन रोड तहसील-लांजी जिला बालाघाट (म.प.)-481222)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में खसरा संख्या 187/275 पटवारी हल्का संख्या 19/60 गाँव-लांजी, हल्का और तहसील-लांजी, जिला बालाघाट में 8.31 वर्गमीटर की कुल ऊँचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = 65.10 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 56

(श्री शैलेंद्र बोरकर पुत्र श्री काजेश्वर बोरकर, गाडेवल मोहल्ला वार्ड संख्या 11, मेन रोड तहसील-लांजी , जिला बालाघाट (मध्य प्रदेश) - 481222)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में खसरा संख्या 187/288 पटवारी हल्का संख्या 19/60 गाँव-लांजी, हल्का और तहसील-लांजी, जिला बालाघाट में 7.90 मीटर की कुल ऊँचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जी एफ=46.90 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण पृष्ठ 22

द्वारा टाइप किया गया: बंटी द्वारा संकलित: शीतल द्वारा जांचा गया: एन. महापात्रा

मानक फैला

रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 57

(श्री राजन वंशकार पुत्र श्री भरतलाल वंशकार वार्ड नं. 01, साई मंदिर के पास नजूल शीट नं. 20/डी प्लॉट नं. 13 जिला मंडला (मध्य प्रदेश)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में नजूल शीट संख्या 20/डी प्लॉट संख्या 13 जिला मंडला (मध्य प्रदेश) में 4.72 मीटर की कुल ऊँचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ=27.50 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 58

(श्री अतीक मोहम्मद पुत्र श्री बजीर मोहम्मद वार्ड नं 07 पोस्ट राहतगढ़ जिला सागर, मध्य प्रदेश)

आवेदन के अवलोकन के बाद, इस मामले में वार्ड संख्या 07 पोस्ट राहतगढ़ जिला सागर, मध्य प्रदेश में 4.26 मीटर की कुल ऊँचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ=41.80 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 59

(श्रीमती नैना जैन पत्नी नीलेश जैन एवं श्रीमती निधि जैन पत्नी श्री राजीव कुमार जैन जे-78 गांधी नगर ग्वालियर मध्य प्रदेश 474002)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट संख्या 30, कॉलोनी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश खेड़ापति में 12.00 मीटर की कुल ऊँचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 2 मंजिलों के साथ जीएफ = एफएफ = एसएफ = बेसमेंट = 96.06 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण पृष्ठ 23

द्वारा टाइप किया गया: बंटी द्वारा संकलित: शीतल द्वारा जांचा गया: एन. महापात्रा

— H, २ क २ कमा

मामला संख्या 60

(श्री अविनाश श्री खांडे पुत्र श्रीश्रीधरराव श्रीखांडे , वार्ड नं.-04, तहसील-लांजी जिला बालाघाट (मध्य प्रदेश) - 481222)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में पटवारी हलका संख्या 19/60 43/1/16, 47/1/टी, गांव-लांजी, हल्का और तहसील-लांजी, जिला बालाघाट में 6.95 मीटर की कुल ऊँचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=एफएफ=523.70 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 61

(श्री लव कुमार गोदुले पुत्र स्व श्री प्रदीप गोडुले, वार्ड संख्या 06, मारार मोहल्ला तहसील-लांजी जिला बालाघाट (मध्य प्रदेश) - 481222)

आवेदन के अवलोकन के बाद, इस मामले में यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को भूमि उपयोग के संबंध में स्वामित्व दस्तावेज और कोई कानूनी विवाद न होने के संबंध में कानूनी शपथ पत्र/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए वापस भेज दिया जाये।

मामला संख्या 62

(श्री रमेश कुमार सिलावट पुत्र श्री मोतीलाल सिलावट वार्ड संख्या 07, पोस्ट राहतगढ़ जिला, सागर, मध्य प्रदेश।)

आवेदन पर विचार करने के बाद, यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को भवन योजना प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामला वापस भेज दिया जाए।

मामला संख्या 63

(श्री अजय सेन पुत्र श्री हरिनारायण सेन, वार्ड संख्या 07 पोस्ट राहतगढ़ जिला सागर, मध्य प्रदेश)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में वार्ड संख्या 07 राहतगढ़ 101/7 में 3.35 मीटर की कुल ऊँचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ = 45.615 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण पृष्ठ 24

द्वारा टाइप किया गया: बंटी द्वारा संकलित: शीतल द्वारा जांचा गया: एन. महापात्रा

मुकुरी

प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए

मामला संख्या 64

(श्री तारिक वेहना पुत्र श्री बाबू खान, वार्ड नं. 07 पोस्ट राहतगढ़ जिला सागर, मध्य प्रदेश)

आवेदन के अवलोकन के बाद, इस मामले में वार्ड संख्या 07 पोस्ट राहतगढ़ जिला सागर मध्य प्रदेश में 3.48 मीटर की कुल ऊँचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ = 33.816 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 65

(पर्यटन विभाग, पर्यटन भवन, दूसरी मंजिल, पट्टो, पणजी-गोवा)

आवेदन के अवलोकन के बाद, इस मामले में एसवाई संख्या 154/1 (पी), 154/2 (पी), 154/3 (पी) एला गांव, तिस्वाड़ी तालुका में 5.35 मीटर की कुल ऊँचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ निचले भूतल और भूतल के साथ निचला भूतल = 234.96 वर्गमीटर, जीएफ = 1060.74 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। यह कार्य एसए, एएसआई, गोवा सर्कल की देखरेख में किया जाना है। सक्षम प्राधिकारी, गोवा की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 66

(श्री दिनेश डी. गडेकर, पुलिस निरीक्षक, ओल्ड गोवा पुलिस स्टेशन, एला, ओल्ड-गोवा, तिस्वाड़ी तालुका, गोवा)

आवेदन पर विचार करने के बाद, फॉर्म II में ऊँचाई का उल्लेख न होने के कारण और आवेदक को अपने नाम पर कोई कानूनी विवाद न होने और भूमि उपयोग के संबंध में कानूनी हलफनामा/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए इस मामले को वापिस भेज दिया जाये।

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण पृष्ठ 25

द्वारा टाइप किया गया: बंटी द्वारा संकलित: शीतल द्वारा जांचा गया: एन. महापात्रा

२१.२.२०२१

मामला संख्या 67

(श्री बदन चंद्र दत्ता, दिवंगत कमला कांता दत्ता के पुत्र, शिवसागर टाउन, लोट संख्या 2, खंड संख्या 19, पीओ और जिला शिवसागर, असम, पिन - 785640)

आवेदन पर विचार करने के बाद संपत्ति प्रतिषिद्ध क्षेत्र में होने के कारण मामले को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या 68

(श्री विशाल अग्रवाल, श्री महेश अग्रवाल के पुत्र, निदेशक, रामलाल दुर्गादत्त, रंगहार चरियाली, पीओ जॉयसागर, जिला शिवसागर, असम, पिन- 785665)

आवेदन पर विचार करने के बाद, संपत्ति प्रतिषिद्ध क्षेत्र में होने के कारण मामले को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या 69

(कार्यपालक अभियंता, लोक निर्माण विभाग, दमन, कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, कार्य प्रभाग-I, बहु कार्यालय परिसर, मोती दमन)

आवेदन पर विचार करने के बाद, यह निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव के साथ स्थल निरीक्षण रिपोर्ट और प्रपत्र II संलग्न नहीं होने के कारण मामले को वापस भेज दिया जाए। एएमएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 20 ए (4) के संदर्भ में केंद्र संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र में कोई नया निर्माण अनुमत नहीं होने के कारण आवेदक केंद्रीय संरक्षित संस्मारक के केवल विनियमित क्षेत्र में निर्माण करने के लिए प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करें।

मामला संख्या 70

(श्री एम. गणेश और आर. सुगुमर, संख्या: 28/7, करुणानिधि स्ट्रीट, सेमनचेरी थोप्पू, सेमनचेरी गांव, चैन्नई-600119)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में पेरुंबक्कम, गांव तांबरम तालुक, चेंगलपत जिला, सेंट थोमन माउंट पंचायत यूनियन में स्थित, क्रमांक: 319/2 में श्री साई गार्डन हिल व्यू एक्सटेंशन", पेरुंबक्कम, में 12.00 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) की कुल ऊंचाई के साथ जिसमें हेड रुम भी है, जी +2 मंजिलों के साथ जीएफ=167.22 वर्गमीटर, एफएफ=एसएफ=267.00 वर्गमीटर,

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण पृष्ठ 26

द्वारा टाइप किया गया: बंटी द्वारा संकलित: शीतल द्वारा जांचा गया: एन. महापात्र

मुकरे वन

हेडरम=14.00 वर्गमीटर, चार दीवारी=1.50 मीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

ऑफलाइन मामलों पर पुनर्विचार :

मामला संख्या 01

(श्री सरस्वती कंक्रीट वर्क्स, कोल्हापुर, हाउस संख्या - 481, एट एंड पोस्ट - पन्हाला, ताल - पन्हाला, जिला - कोल्हापुर - 416201)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में पन्हाला आर एस सं. 109 (सीएस सं. 634, भूखंड संख्या 25) के इंटर प्रैटेशन हॉल में 10 यूनिट (ए1 से ए 10 यूनिट)- 9.50 मीटर, ईकाई बी1, बी2=9.50मीटर, ईकाई सी=5.60 मीटर, 1 ईकाई के लिए केवल भूतल (सी यूनिट) (ममटी पैरापट, जल भंडारण टैंक आदि) 10 यूनिट (ए1 से ए10 यूनिटों) के लिए तलघर+2तल, के साथ तलघर = 74.39 वर्गमीटर (ईकाई ए1 से ए10), जी एफ =83.54 वर्गमीटर, एफ एफ =87.63 वर्गमीटर (ईकाई ए1 से ए10), तलघर = 72.68 वर्गमीटर (ईकाई बी1 बी2) जी एफ = 41.03 वर्गमीटर ईकाई C), ईकाई ए1 से ए10 = जी एफ के नीचे 1.70 मीटर = (74.39 वर्गमीटर, 10 ईकाई = 74.39 वर्गमीटर), यूनिट बी1, बी2 = जी एफ के नीचे 72.68 वर्गमीटर, 02 ईकाई = 145.396 वर्गमीटर), ईकाई 743.9 वर्गमीटर), ईकाई बी1 बी2 = 72.68 वर्गमीटर, 02 यूनिट = 145.396 वर्गमीटर), यूनिट सी = एन.ए के तल क्षेत्र के साथ एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 02

(श्रीमती क्रांति मल्हारी चव्हाण, पोस्ट-बारव, (जुन्नार), ताल-जुन्नार, जिला - पुणे - 410502)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में गत संख्या 11 / भाग, जुन्नार, ताल-जुन्नार, जिला-पुणे स्थित बरव (पडली) में 07.50 मीटर की कुल ऊँचाई (ममटी, पैरापट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ (पार्किंग क्षेत्र) +2 मंजिलों के साथ जीएफ=एफएफ=एसएफ=115.24 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 03

(श्री सी. रमन, चैर्चथ हाउस, त्रिप्रियार, नाटिका पीओ त्रिशूर-680567, केरल)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में एसवाई संख्या 299/1, 293/15C, नितिका ग्राम पंचायत, नितिका गाँव, चावककड़ तालुक, त्रिशूर जिला में 10.15 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 2 मंजिलों के साथ भूतल=364.00 वर्गमीटर, प्रथम तल=358.00 वर्गमीटर, द्वितीय तल=307.00 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या. 04

(श्रीमती महादेवम्मा, पत्नी स्वर्गीय महादेवा नायक, संथेमाला (कावेरी नगर), सरकारी पशु चिकित्सा अस्पताल के पास, श्रीरंगपट्टनम्, माङ्ड्या जिला-571438, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में खाता संख्या 2 एस-3303/5411/87, संथे मैदान, श्रीरंगपट्टनम् में 10.00 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 2 मंजिलों के साथ जीएफ = एफएफ = एसएफ = 20.94 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या. 05

(श्री नागप्पा गणपति सदाशिवल्ली, गौलेरा ओनी, बनवासी, सिरसी तालुक, उत्तर कन्नड़ जिला, कर्नाटक)

आवेदन के अवलोकन के बाद इस मामले में सर्वेक्षण संख्या 9999 में प्लॉट संख्या 347ए/जीआर, गौलेरा ओनी, बनवासी, सिरसी तालुक में 4.03 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ = 29.25 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण पृष्ठ 28

द्वारा टाइप किया गया: बंटी द्वारा संकलित: शीतल द्वारा जांचा गया: एन. महापात्रा

मुक्त वन

अतिरिक्त कार्यसूची

ऑनलाइन मामले:

मामला संख्या 01

(सुश्री दीपा बिंदल , जेड-10, हौज खास, नई दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में जेड-10, हौज खास, नई दिल्ली-110016 में 17.99 मीटर की कुल ऊँचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ स्टिल्ट +जीएफ+3 मंजिलों के साथ स्टिल्ट=जीएफ=एफएफ=एसएफ=टीएफ= 156.76 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 02

(एम/एस क्रिएटिव होम डेवलपर्स अपनी प्रोपराइटर श्रीमती तरनजोत विर्द्धि सिंह, प्लॉट संख्या -104, उदय पार्क, नई दिल्ली के माध्यम से)

आवेदन के अवलोकन के बाद, इस मामले में प्लॉट संख्या 104, उदय पार्क, नई दिल्ली -110049 में 18.00 मीटर की कुल ऊँचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों के साथ बेसमेंट = स्टिल्ट = जीएफ = एफएफ = एसएफ = टीएफ = 134.99 वर्गमीटर, गहराई = 4.00 मीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 03

(मैसर्स इंटरनेशनल मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नरेंद्र पाल, एन-25, पंचशील सीएचबीएस, पंचशील पार्क, नई दिल्ली के माध्यम से)

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण पृष्ठ 29

द्वारा टाइप किया गया: बंटी द्वारा संकलित: शीतल द्वारा जांचा गया: एन. महापात्रा

१, २५२ वन्नी

आवेदन के अवलोकन के बाद, इस मामले में एन-25, पंचशीला सीएचबीएस, पंचशील पार्क, नई दिल्ली में 17.99 मीटर की कुल ऊँचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ स्टिल्ट + जीएफ + 2 मंजिलों के साथ स्टिल्ट = 347.38 वर्गमीटर, जीएफ = 459.02 वर्गमीटर, एफएफ=एसएफ=435.75 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 04

(श्री कपिल कुमार शर्मा, यू-35-ए ग्रीन पार्क मेन, नई दिल्ली)

आवेदन के अवलोकन के बाद, इस मामले में प्लॉट संख्या यू - 35-ए ग्रीन पार्क मेन नई दिल्ली में 18.00 मीटर की कुल ऊँचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों के साथ बेसमेंट = स्टिल्ट = जीएफ = एफएफ = एसएफ = टीएफ = 125.40 वर्गमीटर, गहराई = 3.08 मीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 05

(मैसर्स भारत ऑयल कंपनी इंडिया पंजीकृत पार्टनर श्री नरेश मंगलानी, प्लॉट संख्या 169 कैलाश हिल्स नई दिल्ली के माध्यम से)

आवेदन के अवलोकन के बाद, इस मामले में 169, कैलाश हिल, नई दिल्ली में 18.00 मीटर की कुल ऊँचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों के साथ बेसमेंट = स्टिल्ट = जीएफ = एफएफ = एसएफ = टीएफ = 156.96 वर्गमीटर, गहराई = 3.20 मीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

प्रस्तुतिकरण के मामले:

मामला संख्या 01

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण पृष्ठ 30

द्वारा टाइप किया गया: बंटी द्वारा संकलित: शीतल द्वारा जांचा गया: एन. महापात्रा

मुक्त

(प्रशांत बी काले, एसई (डब्ल्यू/एस), तीसरी मंज़िल , सिडको भवन, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई-400614)

प्रस्तुतिकरण देखने के बाद यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण कोई भी अंतिम सिफारिश करने से पहले एएसआई और सक्षम प्राधिकरण, महाराष्ट्र के स्थानीय अधिकारियों के साथ प्रस्तावित निर्माण स्थल का दौरा करेगा।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विशेष कार्यसूची

1. पुनर्विचार किए गए मामलों पर चर्चा के दौरान, यह निर्णय लिया गया कि पुनर्विचार किये जाने वाले सभी स्थगित/वापिस भेजे गए मामलों को उन पर की जाने वाले कार्रवाई में तेजी लाने के लिए "अनुपालन किये गये मामलों" के रूप में सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इन मामलों पर पहले ही एक बार विचार किया जा चुका है और इसलिए उन्हें फिर से एजेंडा में शामिल किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों के लिए एक उपयुक्त प्रारूप तैयार किया जाना चाहिए।
2. भवनों की ऊंचाई के संबंध में सिफारिशें करते समय निरंतरता बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। किसी भी परिस्थिति में प्रत्येक स्मारक के संबंध में पहले प्रदान की गई ऊंचाई से अधिक ऊंचाई की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
3. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण ने इस बात पर बल दिया कि चूंकि अवर सचिव सहित पर्याप्त स्टाफ की तैनाती की जा चूकी है अतः कार्यवृत्त जारी करने एवं आवेदकों को की जाने वाली सिफारिशों के मामलों में तेजी लाये जाने के लिये प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किये जाने की जरूरत है।
4. सक्षम प्राधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के साथ बैठक।

विकास सिंह बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं अन्य मामले में हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले, जहां माननीय न्यायालय के फैसले की पर्यावरण विभाग द्वारा गलत व्याख्या की गई है कि आवासीय भवनों की ऊंचाई स्टिल्ट के साथ 18 मीटर से 20 मीटर तक कर दी गई है, के इष्टिगत दिल्ली से प्राप्त अनिगिनत अभ्यावेदनों के कारण सक्षम प्राधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के साथ बैठक की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की चर्चा करने और उसका विश्लेषण करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि निर्णय में कुछ भी नया नहीं है क्योंकि प्राधिकरण, दिल्ली मास्टर प्लान, 2013 और राष्ट्रीय भवन कोड, 2016 के प्रचलन में होते हुए 18 मीटर (कुल मिलाकर) तक की ऊंचाई की अनुमति देता आ रहा है। अतः सर्वोच्च न्यायालय का उक्त निर्णय अग्निशमन विभाग द्वारा दी गई अनुमति से संबंधित है और यह स्वतः ही राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण पर लागू नहीं होता है। अतः प्राधिकरण ने उचित रूप से निर्णय लिया कि धरोहर उपनियमों को अंतिम रूप दिये जाने तक 18 मीटर (कुल मिलाकर) की अधिकतम ऊंचाई की संस्तुति ही दी जायेगी जैसा कि पहले किया जाता रहा है और धरोहर उपनियमों को तैयार किये जाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी।

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण पृष्ठ 31

द्वारा टाइप किया गया: बंटी द्वारा संकलित: शीतल द्वारा जांचा गया: एन. महापात्रा

८१, इक्के कला

